



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 फरवरी, 2021

फाल्गुन 6, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 456/9-1-2021-41मेला-2017

लखनऊ, 25 फरवरी, 2021

अधिसूचना

प0आ0-75

चूँकि संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16, सन् 1938) की धारा 2 के परन्तुक की अपेक्षानुसार आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 1457/9-1-2019-41मेला-2017, दिनांक 2 सितम्बर, 2019 को जारी एवं तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, कोई आपत्ति या सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब, संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1938) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल जिला चित्रकूट में सोमवती अमावस्या मेला, भाद्रपद अमावस्या (भदई) मेला और प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में पाँच दिवसीय दीपावली मेला को प्रान्तीयकृत मेला घोषित करती हैं। उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध, नीचे विस्तृत रूप से वर्णित क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान प्रवर्तित होंगे :-

### क्षेत्र का विवरण

20 कि०मी० परिधि के भीतर भक्तगण विभिन्न धार्मिक स्थलों यथा-कर्वी, रामघाट, कामदुगिरि, देवांगना, हनुमानधारा, सती अनुसुइया, गुप्तगोदावरी, स्फाटिकशिला, जानकीकुण्ड, भरतकूप आदि का भ्रमण करते हैं।

आज्ञा से,

डा० रजनीश दुबे,

अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 456/IX-1-2021-41Mela-2017, dated February 25, 2021:

No. . 456/IX-1-2021-41Mela-2017

*Dated Lucknow, February 25, 2021*

WHEREAS, Government notification no. 1457/IX-1-2019-41Mela-2017, dated September 2, 2019 was issued and published in the *Gazette* on the same date with a view to inviting objections and suggestions thereon as required in the proviso to section 2 of the United Provinces Mela Act, 1938 (U.P. Act no. XVI of 1938);

AND, WHEREAS, no objection or suggestion has been received within the stipulated time;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 2 of the United Provinces Melas Act, 1938 (U.P. Act no. XVI of 1938), the Governor is pleased to declare Somvati Amavasya Mela, Bhadrapad Amavasya (Bhadai) Mela and Five days Deepavali Mela in the month of Kartik every year as provincial mela in district Chitrakoot. All the provisions of the said Act shall come into operation during the said period in the area detailed below :-

#### **Details of the Area**

Within the periphery of 20km, devotees visit various religious places like Karvi, Ramghat, Kamadgiri, Devangna, Hanumandhara, Sati Anusuiya, Guptgodavari, Sfatikshila, Jankikund, Bharatkoop etc.

By order,  
Dr. RAJNEESH DUBE,  
*Apar Mukhya Sachiv.*